चीन ने पाकिस्तान मूल के आतंकियों को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव रोका

संयुक्त राष्ट्र द्वारा **पाकिस्तान मूल के LeT आतंकियों को वैश्विक [आतंकी](#) के रूप में नामित करने या फिर ब्लैकलिस्ट करने** के प्रस्ताव पर चीन ने रोक लगा दी है, यह **अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के लिये गंभीर चिंता का विषय है।**

- सितंबर 2022 में चीन ने **संयुक्त राष्ट्र द्वारा पेश किये गए इस प्रस्ताव को विचाराधीन** रखने का फैसला लिया था।

चीन के फैसले से संबंधित चिंताएँ:

- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पेश किये गए प्रस्ताव का उद्देश्य **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति** के तहत **26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों में शामिल होने के मामले में एक वांछित व्यक्ति को ब्लैकलिस्ट करना** था।
- यह पहली बार नहीं है जब चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट करने के प्रस्ताव पर रोक लगाई है।
- चीन ने **वर्ष 2009, 2016, 2017 में** भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तानी आतंकवादियों को लक्षित करने वाली सूचियों की लगातार अनदेखी की है।
    - चीन द्वारा इस प्रकार की कार्रवाइयाँ, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग जैसे महत्त्वपूर्ण मामले में पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता दे रहा है, **उन देशों के लिये चिंता का विषय है जो वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं।**
    - यह **आतंकवाद से संबंधित संवेदनशील मुद्दों** पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आम सहमति हासिल करने की चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है।

1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति:

- यह समिति **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** का हिस्सा है तथा इसका काम आतंकवादियों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना है।
    - समान भूमिका वाली अन्य दो समितियाँ **आतंकवाद निरोधी समिति** और **सुरक्षा परिषद समिति** हैं।
- सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 में **अल-कायदा और तालिबान को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने के बाद 15 अक्तूबर, 1999 को अल-कायदा प्रतिबंध समिति की स्थापना** अल-कायदा और तालिबान प्रतिबंध समिति के रूप में की गई थी।
    - वर्ष 2011 में **तालिबान के संबंध में एक अलग समिति** बनाई गई थी।
- **समिति शासन के तहत** कोई भी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश **किसी व्यक्ति या समूह का नाम आतंकवादी के रूप में नामित** करने का प्रस्ताव कर सकता है।
    - 1267 प्रतिबंध समिति में सर्वसम्मति से निर्णय लिये जाते हैं जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य शामिल होते हैं।
    - **समिति का कोई भी सदस्य ब्लैकलिस्ट करने हेतु लाए गए प्रस्ताव को आपत्ति दर्ज कर या "टेक्निकल होल्ड" के माध्यम से रोक सकता है।**
- आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किसी व्यक्ति या संस्था की **संपत्ति जब्त करने के साथ ही वह यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध** के अधीन है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council-UNSC)

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का उत्तरदायित्व UNSC में

परिचय
- संयुक्त राष्ट्र के **6** प्रमुख अंगों में से एक; संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा **1945** में स्थापित

मुख्यालय
- न्यूयॉर्क सिटी

पहला सत्र
- **17** जनवरी, **1946** को चर्च हाउस, वेस्टमिंस्टर, लंदन में

सदस्यता
- 15 सदस्य- **5** स्थायी सदस्य **(P5)**, **10** गैर-स्थायी सदस्य दो साल के कार्यकाल के लिये चुने गए (प्रत्येक वर्ष **5** का चुनाव किया जाता है)
- **P5**- अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्राँस और चीन

UNSC की अध्यक्षता
- **15** सदस्यों के बीच प्रत्येक माह बारी-बारी से
- वर्ष **2022** के लिये भारत की अध्यक्षता-दिसंबर

मतदान शक्तियाँ
- **1** सदस्य - **1** मत/वोट
- **P5** देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है वीटो पावर है
- **UN** के ऐसे सदस्य जो **UNSC** के सदस्य नहीं हैं, **मतदान के अधिकार के बिना** इसके सत्र में भाग लेते हैं

UNSC समितियाँ/प्रस्ताव
- आतंकवाद:
  - संकल्प **1373** (आतंकवाद रोधी समिति)
  - संकल्प **1267** (दाएश और अल कायदा समिति)
- अप्रसार समिति:
  - संकल्प **1540** (परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के विरुद्ध)

भारत और UNSC
- गैर-स्थायी सदस्य के रूप में **7** बार सेवा; **2021-22** में **8**वीं बार चुना गया; स्थायी सीट की मांग
- स्थायी सीट के लिये तर्क:
  - **43** शांति मिशन
  - मानवाधिकार घोषणा **(UDHR)** को तैयार करने में सक्रिय भागीदारी
  - भारत की जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक क्षमता, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक प्रणाली आदि।

G4 - चार देशों (ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान) का समूह जो UNSC में स्थायी सीटों के लिये एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन कर रहे हैं

"मतैक्य के लिये मिलकर काम करना" आंदोलन (Uniting for Consensus-UfC Movement)
- अनौपचारिक रूप से इसे कॉफी क्लब के रूप में जाना जाता है
- देश UNSC स्थायी सीटों के विस्तार का विरोध करते हैं
- समूह के प्रमुख देश-इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना और पाकिस्तान
- इटली और स्पेन जर्मनी की दावेदारी का; पाकिस्तान- भारत की दावेदारी का; अर्जेंटीना-ब्राजील की दावेदारी का और ऑस्ट्रेलिया-जापान की दावेदारी का विरोध कर रहे हैं

UNSC के समक्ष बड़ी चुनौतियाँ
- संयुक्त राष्ट्र के सामान्य नियम UNSC विचार-विमर्शों पर लागू नहीं होते हैं; बैठकों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है
- UNSC में पावरप्ले; P5 की अराजकतावादी वीटो शक्तियाँ
- P5 के बीच गहन ध्रुवीकरण; लगातार मतभेद प्रमुख निर्णयों को अवरुद्ध करता है
- विश्व के कई क्षेत्रों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व

//

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और शेष 10 सदस्य महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिये चुने जाते हैं? (2009)

(a) 1 वर्ष
(b) 2 वर्ष
(c) 3 वर्ष
(d) 5 वर्ष

उत्तर: (b)

[स्रोत: द हिंदू](#)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/china-blocks-proposal-to-blacklist-pakistan-based-terrorist